विश्व व्यापार संगठन समाचार

विश्व व्यापार संगठन प्रकोष्ठ

उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ

न्यूज लेटर

वर्ष 2 अंक 4–5

संयुक्तांक (अक्टूबर, 05 से सितम्बर, 06)

संपादकीय

जैव विविधता के दृष्टिकोण से भारत का विश्व के पादप समृद्ध देशों में दसवॉ तथा एशियाई देशों में चौथा स्थान है। जैव विविधता में कमी विगत वर्षों की सबसे बड़ी समस्या रही है। इसके कई कारण हैं। हरित क्रॉति के बाद से खेती में निरंतर मशीनीकरण का प्रयोग इनमें प्रमुख है। साथ ही पशुपालन, औद्योगिक मत्स्य पालन एवं एक्वाकल्चर के क्षेत्र में हुई प्रगति भी जैव विविधता को कम करने का कारण रहा है। वर्तमान कृषि पद्धति में एक ही प्रकार की फसलों की खेती का प्रचलन है, जिससे फसल प्रजातियों की विविधता में गिरावट आने लगती है। इसी प्रकार सीमित नस्लों के घरेलू जानवर या मछलियॉ के पालने पर बल देने के साथ–साथ कुछ खास किस्म की जलीय प्रजातियों की खेती की जाती है। अनुवांशिक रुप से संशोधित जीवधारियों (जी.एम.ओ.) का प्रयोग करने वाली उत्पादन प्रणालियॉ भी इस प्रवृत्ति को और तेज कर देती हैं। विगत वर्षो के दौरान खाद्योत्पादन और वितरण व्यवस्था का वैश्वीकरण हुआ है तथा औद्योगिक पेटेंटिंग तथा अन्य बौद्धिक संपदा कानूनों को जैविक पदार्थो तक फैला दिया गया है। इस परिवर्तन के फलस्वरुप खेती में एक ही प्रकार की प्रजातियों के चलन में तेजी आई है। इससे विविध प्रजातियों और नस्लों के उत्पादन में कमी आने लगी है। इसके परिणामस्वरुप एक ऐसा वैश्विक बाजार निर्मित हुआ है, जो ज्यादा समरुप, कम विविधतापूर्ण और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक है।

अब इस बात को व्यापक मान्यता मिल चुकी है कि जैव विविधता की क्षति या उसमें किसी भी प्रकार की कमी से न केवल कृषि बल्कि पर्यावरण के भावी टिकाऊपन पर गहरे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। इससे बचने के लिये भारत में तत्काल ऐसी प्रणाली स्थापित किये जाने की आवश्यकता है, जिससे जैव विविधता को संरक्षण एवं प्रोत्साहन दिया जा सके तथा इसका उपयोग फसलों की नई प्रजातियों के विकास के साथ–साथ नये उत्पादों के पेटेन्टीकरण तथा पशुपालन में सुधार करते हुए प्राकृतिक तथा पर्यावरणीय संतुलन को बनाये रखा जा सके ।

भारत में पादप, जीव तथा सूक्ष्म जीव एवं कवक की लगभग 126756 प्रजातियॉ विद्यमान हैं, जिसमें 47000 अनुमानित पादप प्रजातियॉ हैं। इन पादप प्रजातियों का काफी बड़ा अंश विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों विशेषकर जनजातीय एवं उपजातीय चिकित्सा पद्धति में औषधि निर्माण के लिये प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त अनेक प्रजातियों का उपयोग प्रसाधन तथा सौन्दर्य सुरक्षा उद्योग द्वारा किया जाता है। इस देश को विरासत में आयुर्वेद तथा यूनानी जैसी सुव्यवस्थित एवं प्रलिखित पारंपरिक प्रौद्योगिकियों का समृद्ध भंडार मिला है। एथीनोबॉयोलॉजी की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत किये गये सर्वेक्षण के अनुसार भारत की विभिन्न जनजातियों द्वारा लगभग 10000 जगली पादप प्रजातियों का उपयोग अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य एवं औषधि आदि के लिये किया जाता है, जिसमें 8000 ऐसी जंगली पादप प्रजातियॉ हैं, जिनका उपयोग केवल औषधीय उत्पादों हेतु किया जाता है। इन प्रजातियों में लगभग 2000 ऐसी हैं, जो बिलकुल नई हैं एवं जिस पर वैज्ञानिक अनुसंधान किया जा सकता है। इसी प्रकार इन जनजातियों द्वारा 4000 पादप प्रजातियों का उपयोग खाद्य के रुप में किया जाता है, जिसमें 800 प्रजातियॉ ऐसी हैं जिन्हें भविष्य में खाद्य के रुप में उपयोग में लाये जाने की काफी संभावनायें हैं। इसी तरह रेशे के लिये उपयोग में लाई जा रही 600 पादप प्रजातियों में 80 प्रजातियॉ ऐसी हैं, जिनको व्यवसायिक तौर पर उपयोग में लाया जा सकता है। चारे तथा कीटनाशी के रुप में क्रमशः 500 तथा 325 पादप प्रजातियों का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें से चारे के रुप में 100 प्रजातियॉ तथा कीटनाशी के रुप में 180 प्रजातियॉ ऐसी हैं, जिसका उपयोग क्रमशः चारे तथा कीटनाशी के रुप में करने हेतु अध्ययन किये जाने की आवश्यकता है।

भारतवर्ष में जैव विविधता के साथ–साथ इसके उपयोग के संदर्भ में उपलब्ध पारंपरिक ज्ञान के विशाल भंडार को सहेज कर रखने और उसका दस्तावेजीकरण कर नये उत्पादों के विकास तथा आई.पी. आर. के अन्तर्गत इसका पेटेन्टीकरण कर व्यवसायिक रुप में लाभ लिये जाने की असीम संभावनायें विद्यमान हैं।

अब पारंपरिक ज्ञान को अंधाधुंध तरीके से चुराकर उन्हें तथाकथित 'आविष्कारों' मुख्यतः जैव'–प्रौद्योगिकी के आविष्कारों में प्रयुक्त कर दिया जा रहा है, और उन्हें बौद्धिक संपदा के नाम पर पेटेन्ट कराया जा रहा है। विडंबना यह है कि पारंपरिक ज्ञान को चुराकर बनाये गए पेटेन्ट उत्पाद का लाभ उन समुदायों को अंश मात्र तक नहीं होता जो पूर्णरूपेण उन्हीं के ज्ञान पर आधारित होता है।

अतः हमें इस खजाने के महत्व को समझने, इसके सतत प्रयोग तथा राष्ट्रीय नीति में समाहित करने के रास्ते निकालने होंगे ताकि इस ज्ञान का संरक्षण व सतत प्रयोग किया जा सके।

(चन्द्रिका प्रसाद)

महानिदेशक

विश्व व्यापार संगठन

कृषि समझौते की शब्दावली:

विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत कृषि समझौते में कई तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस तकनीकी शब्दावली को हिंदी में सरल भाषा में परिभाषित करने का प्रयास किया गया है, जिससे इन्हें समझने में आसानी हो सके।

कृषि समझौता (एओए): यह उरुग्वे वार्ता–चक्र में संपन्न किया गया समझौता है जिसके कारण 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। एक जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बाद कृषि समझौता लागू हो गया। यह कृषि को पहली बार बहुपक्षीय व्यापार नियमों के दायरे में लाया। इस समझौते को लागू करने के लिए विकसित देशों को छह साल और विकासशील देशों को 9 साल का समय दिया गया है। इसके तीन प्रमुख पहलू हैं – घरेलू सहायता,

बाजार–पहुंच और निर्यात प्रतियोगिता। साथ ही इसमें समझौते की समीक्षा के प्रावधान भी हैं।

घरेलू सहायता

सब्सिडी: सरकार द्वारा ऐसे वित्तीय योगदान जो व्यवसाय या किसी विशेष कार्यकलाप की लागत की भरपाई करते हैं (उदाहरण के लिए निधियों का सीधा हस्तांतरण, निधियों का संभावित सीधा हस्तांतरण, राजस्व में छूट, आदि)। कृषि के संदर्भ में इसका अर्थ है किसानों, उर्वरक कंपनियों को वित्तीय लाभ, कृषि उत्पादों के लिए कीमत सहायता, आदि।

सहायता का सकल माप (एएमएस): विशिष्ट तथा गैर–विशिष्ट, दोनों प्रकार के उत्पादों के लिए सरकारों द्वारा दी गई घरेलू सहायता के कुल मूल्य का परिमाणन। इसमें सरकारों द्वारा लागू किए गए उत्पादन और व्यापार–विपथन उपाय शामिल हैं। कृषि समझौता अपने सदस्य देशों पर एएमएस कम करने का दायित्व भी डालता है।

अंबेर बाक्स: इसका अर्थ है वे घरेलू सहायता सब्सीडियां जो उत्पादन और व्यापार का विपथन कर सकती हैं। अंबेर बाक्स के अंतर्गत आने वाली घरेलू सहायता सब्सीडियों को कृषि समझौते के अंतर्गत या तो समाप्त किया जाता है या कम किया जाता है। इन सब्सीडियों में बाजार कीमत सहायता, विभिन्न प्रकार के भुगतान, इनपुट सब्सीडियां आदि शामिल हैं। इन सब्सीडियों में, "सहायता का सकल माप" फार्मूले के आधार पर, कटौती की जा सकती है।

ब्लू बाक्स: इसका अर्थ है वे घरेलू सहायता उपाय जो विश्व व्यापार संगठन के देशों को, कतिपय शर्तों की पूर्ति किए जाने पर उत्पादन सीमित करने के लिए, अपने किसानों को सीधे भुगतान की अनुमति देते हैं। भुगतान का स्तर निर्धारित क्षेत्रों और फसल प्राप्ति या प्रति मवेशी पर आधारित होना चाहिए। इस सहायता की सीमा नहीं है और इसे न तो कम किया जाना चाहिए और न ही समाप्त किया जाना चाहिए। ब्लू बाक्स सब्सीडियां उरुग्वे चक्र के दौरान वार्ताओं में आ गए गतिरोध को तोड़ने के लिए 1992 में अमरीका और यूरोपीय यूनियन के बीच समझौते का परिणाम हैं। इस समझौते को ब्लेयर हाउस समझौता भी कहा जाता है। अपनी वर्तमान वार्ताओं में विकसित देश ब्लू बाक्स को बनाए रखने के पक्ष में हैं, जबकि कई विकासशील देश ब्लू बाक्स सब्सीडीज को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते हैं।

डि मिनिस सीमा: यह कृषि को दी जाने वाली घरेलू सहायता व्यय की अधिकतम सीमा है। दूसरे शब्दों में, घरेलू सहायता इस सीमा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर देश अपनी कृषि को इस सीमा या प्रारम्भिक सीमा से कम सहायता प्रदान करते हैं तो उसमें एएमएस फार्मूले के अनुसार कटौती नहीं की जा सकेगी। यह सीमा या प्रारम्भिक सीमा कृषि उत्पादन की सामान्य सहायता और उत्पाद–विशिष्ट या फसल–विशिष्ट सहायता जैसे विशेष कृषि कार्यक्रमों, दोनों पर लागू होती है। विकसित देशों के लिए 'डि मिनिस' सीमा सामान्य सहायता के मामले में उत्पादन के कुल मूल्य का 5 प्रतिशत और माल–विशिष्ट सहायता के मामले में कुल उत्पादन के कुल मूल्य का 5 प्रतिशत है। यदि किसी विकसित देश में कृषि उत्पादन का कुल मूल्य 100 इकाइयां है। ऐसी स्थिति में घरेलू सहायता 5 इकाइयां होगी और उसमें कटौती नहीं की जाएगी। इस मामले में यह कहा जाएगा कि सहायता व्यय का 'डि मिनिस' स्तर 5 इकाइयां है। इस मामले में विकासशील देशों के लिए 'डि मिनिस' स्तर 10 इकाइयां होगा।

ग्रीन बाक्स सब्सिडीं: ऐसी घरेलू सहायता सब्सीडियां, जिन्हें कटौती से छूट दी गई है, ग्रीन बाक्स सब्सीडियां कहलाती हैं। ग्रीन बाक्स सब्सीडी ऐसी होनी चाहिए कि व्यापार को अव्यवस्थित न करे या थोड़ा सा ही अव्यवस्थित करे। ये सब्सीडियां सरकार द्वारा वित्तपोषित होनी चाहिए और इनमें कीमत–सहायता शामिल नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, ग्रीन बाक्स सब्सीडियां ऐसी सब्सीडियां हैं जिनकी अनुमति दी गई है। इनमें पर्यावरण कार्यक्रमों, रोग नियंत्रण, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, घरेलू खाद्य सहायता आदि से संबंधित सब्सीडियां शामिल हैं। कृषि समझौते के क्रियान्वयन में ऐसी सब्सीडियां भी देखने में आई हैं जिन्हें वैसे तो ग्रीन बाक्स सब्सीडियां कहा जाता है, पर वास्तविकता में वे व्यापार को अव्यवस्थित करती हैं। इनके उदाहरण हैं – उत्पादकों को सीधा भुगतान, अलग से आय–सहायता और आय बीमा के लिए सरकारी वित्तीय सहायता।

बाजार–पहुंच

बाजार–पहुंच: किसी विदेशी उत्पाद को घरेलू बाजार में प्रविष्ट होने और बिना भेदभाव के घरेलू उत्पादों के साथ प्रतियोगिता करने की अनुमति। दूसरे शब्दों में, यह आयातित सामानों और सेवाओं को उन्हीं के प्रकार के घरेलू सामानों और सेवाओं के साथ प्रतियोगिता करने की सरकार द्वारा अनुमति देने की तत्परता है।

विशेष सुरक्षा: ये अपने क्षेत्र में कृषि मालों के आयात में वृद्धि होने पर मालों पर अतिरिक्त ड्यूटी लगाने के, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों के, अधिकार हैं। आयात में वृद्धि आयातित मालों की अधिक मात्रा या फिर माल–कीमतों में गिरावट के कारण हो सकती है। ये अतिरिक्त ड्यूटियां लगा कर देश अपने घरेलू बाजारों में इन आयातों को महंगा करते हैं और इस तरह उन्हें कम आकर्षक बना देते हैं। किंतु, सभी देश विशेष सुरक्षा उपायों का उपयोग नहीं कर सकते। इनका उपयोग केवल वे देश ही कर सकते हैं जिन्होंने अपनी गैर–टैरिफ रोकों – जैसे कि परिवर्तनीय लेवियों और परिमाणात्मक रोकों – को टैरिफों में बदला है।

विशेष सुरक्षा उपाय (एसएसएम): आयातों में तेजी के कारण आयात करने वाले देश को बाजार अस्थिरता से बचाने के लिए सुरक्षा उपाय लागू करने का अधिकार प्रदान करने के प्राविधान को शामिल करके कृषि समझौते में संशोधन का एक प्रस्ताव है। यह प्रस्तावित एसएसएम कृषि समझौते में विशेष सुरक्षोपायों के प्राविधान से अलग है।

टैरिफ: आयातित उत्पादों पर राष्ट्रीय सीमा पर लगाया जाने वाले कर। टैरिफ दो तरह से लगाए जा सकते हैं। पहला मूल्यानुसार टैरिफ है जिसकी दरें आयात के मूल्य पर आधारित होती हैं अर्थात यह आयातित वस्तुओं की कीमत पर लगाया जाता है। दूसरा है, विशेष टैरिफ दर, जिसमें टैरिफ दरें आयातित वस्तु के वजन के आधार पर लगाई जाती हैं – चाहे आयातित वस्तु की कीमत कुछ भी है।

बाउंड (परिबद्ध) टैरिफः इसका अर्थ है किसी महत्वपूर्ण उत्पाद पर लगाया जाने वाला अधिकतम टैरिफ। उदाहरण के लिए अगर किसी आयातित वस्तु की बाउंड टैरिफ दर 100 प्रतिशत है तो इसका अर्थ यह है कि उस विशेष उत्पाद पर अधिकतम 100 प्रतिशत टैरिफ लगाया जा सकता है। कोई देश किसी उत्पाद पर 100 प्रतिशत से कम या 100 प्रतिशत के बराबर टैरिफ लगा सकता है, पर 100 प्रतिशत से अधिक नहीं लगा सकता।

प्रयुक्त (एप्लाइड) टैरिफः ऐसा टैरिफ जो किसी आयातित वस्तु पर लगाया जाए।

वाटर इन टैरिफः इसका अर्थ है बाउंड टैरिफ और प्रयुक्त (एप्लाइड) टैरिफ के बीच का अंतर।

अनबाउंड (परिबद्ध) टैरिफ लाइनः ऐसा उत्पाद जिसके लिए टैरिफ की कोई अधिकतम सीमा न हो। दूसरे शब्दों में, यदि टैरिफ लाइन मुक्त है तो इसका अर्थ है कि उस पर लगाया जाने वाला टैरिफ किसी भी स्तर तक जा सकता है।

टैरिफीकरणः इसका अर्थ है जो अवरोधकारी गैर–टैरिफ उपाय उरुग्वे वार्ताओं के समय मौजूद थे, उन्हें टैरिफ में बदलना टैरिफ में कमी लाने का फार्मूलाः इसका संबंध विभिन्न कृषि उत्पादों पर टैरिफ की दरों में कटौती करने की उन विभिन्न पद्धतियों से है जो बाजार–पहुंच को अधिक सार्थक बनाती हैं।

उरुग्वे वार्ता–चक्र का फार्मूलाः टैरिफ की दरों में कमी लाने का यह फार्मूला उरुग्वे व्यापार वार्ताओं के दौरान सुझाया गया था। इसे अनुरेखीय कटौती फार्मूला भी कहते हैं। इसमें न्यूनतम कटौती या प्रति टैरिफ लाइन के हिसाब से कटौती के साथ टैरिफ दरों में सकल औसत कमी की बात कही गई है। उदाहरण के लिए, उरुग्वे वार्ताओं के दौरान प्रति टैरिफ लाइन औसत कटौती और कुल न्यूनतम कटौती क्रमशः 36 प्रतिशत और 15 प्रतिशत थीं। इस फार्मूले के अंतर्गत टैरिफ दरों में अत्यधिक कमी नहीं होती।

स्विस फार्मूलाः इस फार्मूले का उद्देश्य विश्व व्यापार संगठन के देशों के बीच टैरिफ में सामंजस्य स्थापित करना (यानी उन्हें एक स्तर पर लाना) है। यह विकासशील और अल्पतम विकसित देशों के लक्ष्य का समर्थन नहीं करता क्योंकि इनमें से अधिकतर देशों में उच्च टैरिफ दरें लागू होती हैं। स्विस फार्मूला अपनाने से उनके टैरिफों में अत्यधिक कमी आएगी और वे बाजार–अस्थिरताओं का शिकार हो सकते हैं।

बैंडेड या वर्गबद्ध फार्मूलाः इस फार्मूला के अनुसार सभी टैरिफ लाइनों या उत्पादों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर दिया जाना चाहिए और उरुग्वे वार्ता के फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हर वर्ग के लिए टैरिफ कटौती निर्धारित करनी चाहिए।

ब्लैंडेड यानी मिलाजुला फार्मूलाः यह फार्मूला उरुग्वे वार्ता के फार्मूले और विश्व फार्मूले को मिला कर बनाया गया है। इसके अनुसार किसी भी देश की टैरिफ लाइनों को तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है जिसमें से एक वर्ग विश्व फार्मूले के अंतर्गत आता है, दूसरे वर्ग के उत्पाद उरुग्वे वार्ता फार्मूले के अंतर्गत आते हैं और तीसरे वर्ग के उत्पाद शून्य टैरिफ के अंतर्गत आते हैं।

श्रेणी–बद्ध (टियर्ड) फार्मूलाः इस फार्मूले या पद्धति को एक अगस्त 2004 को विश्व व्यापार संगठन की महापरिषद द्वारा पारित किया गया था। इसके अंतर्गत टैरिफ लाइनों या उत्पादों को अलग–अलग वर्गों या श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। बैण्डों अथवा उच्च टैरिफ दर वाले वर्गों के मामले में अधिक कटौती की जाती है। किंतु अभी यह निर्णय नहीं हो पाया है कि श्रेणियों में विभाजन कैसे करना है, हर श्रेणी में कितनी टैरिफ लाइनें होंगी।

टैरिफ–वृद्धिः किसी माल की प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) की सीमा के साथ टैरिफ में वृद्धि। उदाहरण के लिए कनाडा में कच्ची चीनी की टैरिफ दर मात्र 8.5 प्रतिशत है। पर परिष्कृत चीनी की टैरिफ दर 107 प्रतिशत है।

निर्यात प्रतियोगिता

निर्यात सब्सिडीः ये सब्सीडियां सरकार द्वारा निर्यात फर्मों को किए जाने वाले भुगतान हैं ताकि उन्हें सस्ते आयातित उत्पादों की बजाय महंगे घरेलू उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इन भुगतानों में महंगे घरेलू उत्पाद और उसके सस्ते आयात विकल्प की लागतों के बीच के अंतर को शामिल किया जाता है।

निर्यात ऋणः ये वे भुगतान हैं जो सरकारें कंपनियों को व्यावसायिक आधार पर व्यवसाय करने की अपनी लागत को कम करने के लिए देती है। इससे घरेलू कंपनियों को सरकार की कीमत पर अधिक निर्यात करने में मदद मिलती है।

सामान्य

गैर–व्यापार सरोकारः कृषि समझौते में प्रयुक्त इन शब्दों का आशय कृषि के उन पहलुओं से है जिनका संबंध व्यापार से नहीं है जैसे कि खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण विकास, रोजगार–संरक्षण, पर्यावरण रक्षा, आदि। विकासशील और न्यूनतम विकसित देशों में कृषि व्यापार से अधिक महत्वपूर्ण जीविका का मुद्दा है।

समसामयिक

वियतनाम विश्व व्यापार संगठन का 150वॉं सदस्य घोषित

विश्व व्यापार संगठन की जनरल काउंसिल द्वारा 7 नवम्बर, 2006 को वियतनाम को सदस्यता प्रदान किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। 11 जनवरी, 2007 को वियतनाम को औपचारिक रुप से विश्व व्यापार संगठन का 150वॉं सदस्य घोषित किया गया।

fo'o O;kikj laxBu dk lnL; ?kksf"kr fd;s tkus ds volj ij fo'o O;kikj laxBu ds egkfuns'kd Jh ySeh ds lkFk fo;ruke ds jktnwr Jh ,axks dqvkax

39वॉं तथा 40वॉं डब्ल्यू.टी.ओ. ट्रेड पॉलिसी कोर्स सम्पन्न

विश्व व्यापार संगठन सचिवालय द्वारा जेनेवा स्थित अपने मुख्यालय में विभिन्न देशों के सरकारी विभागों के 51 अधिकारियों हेतु 15 जनवरी 2007 से 5 अप्रैल, 2007 तक डब्ल्यू.टी.ओ. ट्रेड पॉलिसी पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को ट्रेड पॉलिसी, विश्व व्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विनिमय आदि विषयों के संबंध में जानकारी प्रदान करना है। भारत से श्री चंचल चंद सरकार द्वारा इसमें प्रतिभाग किया जायेगा।

विश्व व्यापार संगठन द्वारा ई–ट्रेनिंग कोर्स

विश्व व्यापार संगठन द्वारा विकासशील देशों के 227 अधिकारियों हेतु 4 सितम्बर, 2006 से 13 अक्टूबर, 2006 तक "8th Introduction to the WTO and its Basic Principles" विषयक छः दिवसीय ई ट्रेनिंग कोर्स प्रारम्भ किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रतिभागियों को ट्रेड पॉलिसी, आदि विषयों के संबंध में जानकारी प्रदान करना था। यह प्रशिक्षण डब्ल्यू.टी.ओ. ईट्रेनिंग वेबसाइट पर किया गया तथा इसका अनुश्रवण नैरोबी विश्वविद्यालय, कीनिया द्वारा किया गया।

14वॉं डब्ल्यू.टी.ओ. परिचय दिवस सम्पन्न

17 जुलाई, 2006 को विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय में 14वॉं विश्व व्यापार संगठन परिचय दिवस आयोजित हुआ। इस समारोह का आयोजन जेनेवा में आये नये प्रतिनिधि सदस्यों, गैर सरकारी संस्थाओं, विश्व व्यापार संगठन सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों के लिये किया गया। इस अवसर पर 80 प्रतिभागियों का नामांकन किया गया जिसमें से 76 प्रतिशत प्रतिभागी विश्व व्यापार संगठन से बाहर के थे। इस समारोह में 4 सेशन आयोजित किये गये।

महत्वपूर्ण ऑंकड़े

भारत के निर्यात–आयात में वृद्धि

वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के सूत्रों के अनुसार भारत द्वारा वर्ष 2006–07 के प्रथम 4 माह (अप्रैल–जुलाई) में कुल 3968.5 मिलियन यू.एस. डॉलर का निर्यात किया गया, जो वर्ष 2005–06 के (अप्रैल–जुलाई) में हुए कुल निर्यात 31015.22 मिलियन यू.एस. डॉलर से 28 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार वर्ष 2005–06 (अप्रैल–जुलाई) में भारत द्वारा 31015.22 मिलियन यू.एस. डॉलर का आयात किया गया, जो वर्ष 2004–05 (अप्रैल–जुलाई) में हुए निर्यात 23204.6 मिलियन यू.एस. डॉलर से 33.7 प्रतिशत अधिक है।

वर्ष 2006–07 के प्रथम 4 माह (अप्रैल–जुलाई) में भारत द्वारा कुल 3700.9 मिलियन यू.एस. डॉलर के कृषि एवं संबंधित उत्पादों का निर्यात किया गया, जो वर्ष 2005–06 के (अप्रैल–जुलाई) में हुए कुल निर्यात 3001.2 मिलियन यू.एस. डॉलर से 23.3 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार वर्ष 2005–06 (अप्रैल–जुलाई) में भारत द्वारा 3001.2 मिलियन यू.एस. डॉलर के कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया, जो वर्ष 2004–05 (अप्रैल–जुलाई) में हुए निर्यात 2527.2 मिलियन यू.एस. डॉलर से 18.8 प्रतिशत अधिक है।

¼मिलियन यू.एस. डॉलर½

उत्पाद	निर्यात (अप्रैल–जुलाई)		
	2004-05	2005-06	2006-07
कुल कृषि एवं संबंधित उत्पाद	2527.2	3001.2	3700.9
चाय	118.3	114.6	132.3
कॉफी	88.9	133.6	160.1
चावल	344.3	460.6	397.0
गेहूँ	177.5	99.5	5.1
कपास (कच्ची, जिसमें अवशिष्ट भी सम्मिलित हैं)	46.2	108.8	289.4
तंबाकू	89.7	86.5	124.8
काजू (सी.एन.एस.एल. सम्मिलित)	150.3	227.7	186.8
मसाला	142.3	149.5	191.1
तैलीय पदार्थ	282.9	216.9	226.1
समुद्री उत्पाद	331.3	452.9	441.5
चीनी तथा शीरा	13.7	11.2	470.4

स्रोतः रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन

प्रदेश परिदृश्य

विश्व व्यापार संगठन पर प्रशिक्षण

"WTO and its Implication on Indian Agriculture" विषय पर 18 से 22 सितम्बर, 2006 तक हैदराबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट (मैनेज), हैदराबाद द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में परिषद के सचिव, श्री गोपाल शरण सिंह द्वारा भाग लिया गया।

विश्व व्यापार संगठन संबंधी बैठक में प्रदेश सरकार की सहभागिता

Agriculture Negotiations at the WTO तथा Negotiations on Non-Agriculture Market Access (NAMA) विषय पर नई दिल्ली में 18 सितम्बर, 2006 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित बैठक में प्रदेश से कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय तथा प्रमुख सचिव, कृषि द्वारा भाग लिया गया। बैठक में उनके द्वारा विश्व व्यापार संगठन समझौतों पर प्रदेश सरकार का अभिमत भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया।

आयात शुल्क पर प्रदेश सरकार का अभिमत भारत सरकार को प्रेषित

वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विभिन्न उत्पादों पर आयात शुल्क कम करने से संबंधित प्रकरण पर प्रदेश सरकार से अपने विचार प्रस्तुत किये जाने हेतु अपेक्षा की गई। उक्त क्रम में विश्व व्यापार संगठन प्रकोष्ठ द्वारा प्रदेश से संबंधित मुख्य उत्पादों जैसे सस्य फसलें (धान, तिलहन), दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों, मॉस उत्पाद तथा उच्च मूल्य वाले औद्यानिक उत्पादों (लहसुन, मटर, आलू) जिस पर आयात शुल्क बहुत अधिक मात्रा में कम किया जाना विचाराधीन है तथा जिससे प्रदेश में इन फसलों के उत्पादन एवं कृषकों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, का परीक्षण किया गया तथा इस संदर्भ में प्रदेश सरकार का अभिमत कि कृषकों के हित में इन उत्पादों पर आयात शुल्क बहुत अधिक मात्रा में कम न किया जाये को वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया।

विश्व व्यापार संगठन प्रकोष्ठ की गतिविधियाँ

विश्व व्यापार संगठन पर कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम

विश्व व्यापार संगठन के विभिन्न पहलुओं, सूचनाओं एवं समझौतों से प्रदेश के विभिन्न विभागों को परिचित कराने, उनको प्रशिक्षित करने एवं क्षमतावर्धन करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद (उपकार), उद्यमिता एवं आर्थिक विकास केन्द्र (नीड) तथा कट्स सेन्टर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 16–17 मई, 2006 को एक कार्यशाला का आयोजन मंडी भवन के भूतल स्थित सभागार में किया गया। कार्यशाला में प्रदेश के विभिन्न विभागों के अधिकारी, कृषि

विश्वविद्यालयों तथा अन्य कृषि संबंधी संस्थानों के वैज्ञानिकों/अधिकारियो के साथ–साथ उद्यमी, गैर सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधि तथा कृषकों द्वारा भाग लिया गया। विश्व व्यापार संगठन के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी देने हेतु दो विशेषज्ञ, डा. प्रणव कुमार, कट्स इंटरनेशनल, जयपुर तथा श्री अभिजीत दास, सीनियर ट्रेड आफीसर अंकटाड, नई दिल्ली से आमंत्रित किये गये थे।

कार्यशाला की अध्यक्षता करते मा. कृषि मंत्री, डा. अशोक बाजपेई तथा साथ में मा. अध्यक्ष, उपकार श्री कोविद कुमार सिंह,,कृषि सचिव श्री ए.के. मिश्रा तथा महानिदेशक, उपकार प्रो. चन्द्रिका प्रसाद

श्री कोविद कुमार सिंह, अध्यक्ष, उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कार्यशाला का उद्‌घाटन किया गया। अपने अध्यक्षीय उद्‌बोधन में श्री कोविद कुमार द्वारा विश्व व्यापार संगठन जैसे समसामयिक विषय पर कार्यशाला एवं क्षमतावर्धन कार्यक्रम आयोजित कराये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रमुख सचिव (कृषि), उ.प्र. शासन ने उत्तर प्रदेश को विश्व व्यापार संगठन की चुनौतियों एवं मानकों के अनुरुप परिवर्तित करने की आवश्यकता बताते हुए कहा कि इन चुनौतियों एवं बाजार संभावनाओं का लाभ उठाने के लिये हमें अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिये। मुख्य अतिथि डा. अशोक बाजपेई, मा. कृषि मंत्री, उ.प्र. ने कार्यक्रम के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों को प्रदेश के अन्य भागों में भी आयोजित कराये जाने की आवश्यकता है क्योंकि विश्व व्यापार संगठन के संबंध में जितनी जानकारी हमारे देश के नागरिकों को होनी चाहिये, उतनी जानकारी अभी भी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। कार्यशाला में महानिदेशक, उपकार प्रो. चन्द्रिका प्रसाद द्वारा हांगकांग मंत्रिस्तरीय सम्मेलन एवं उसके बाद की स्थिति पर एक रुपरेखा प्रस्तुत की गई। समापन सत्र की अध्यक्षता प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ. प्र. शासन, श्री वी.के. शर्मा द्वारा की गई।

कार्यशाला के अवसर पर विश्व व्यापार संगठन के विभिन्न पहलुओं, सूचनाओं और समझौतों के संदर्भ में लोगों को जानकारी देने हेतु ए.बी.सी. ऑफ डब्ल्यू.टी.ओ., डब्ल्यू.टी. ओ. एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर तथा डब्ल्यू.टी. ओ. एग्रीमेंट ऑन क्लोदिंग एंड टेक्सटाइल विषय पर उपकार, नीड तथा कट्स इंटरनेशनल द्वारा हिन्दी में तैयार की गईं तीन पुस्तकों का विमोचन भी किया गया, जिन्हें सभी प्रतिभागियों में वितरित किया गया।

पुस्तकों का विमोचन करते मा. कृषि मंत्री, उ.प्र. डा. अशोक बाजपेई

कार्यशाला में विस्तृत विचार–विमर्श उपरांत निम्न संस्तुतियॉ दी गईं –

- उ0प्र0 कृषि अनुसन्धान परिषद में स्थापित विश्व व्यापार संगठन प्रकोष्ठ के अन्तर्गत एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाय जो प्रदेश में निर्यात सम्भावनाओं एवं बाधाओं की पहचान, विभिन्न निर्यात योग्य उत्पादों के सम्भावित आक्रामक उपाय एवं आयातों से होने वाली सम्भावित हानियों से प्रतिरक्षात्मक उपाय, विभिन्न उत्पादों के भौगोलिक चिन्हीकरण तथा इनके पंजीकरण कराने तथा इस सन्दर्भ में आवश्यक तकनीकी एवं नीतिगत सुझाव शासन को प्रेषित करे तथा राज्य के हितों वाले मुद्‌दों को प्रदेश सरकार एवं वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार को नियमित रूप से प्रेषित करे।
- विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिस्तरीय वार्ताओं में, एक बड़ा राज्य होने के कारण उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व देश के वार्ता प्रतिनिधि मण्डल में सुनिश्चित किया जाय।
- प्रदेश में विश्व व्यापार संगठन के विभिन्न प्रावधानों एवं उनके प्रभावों के सन्दर्भ में विभाग प्रमुखों, अधीनस्थ अधिकारियों तथा मण्डल, जिला, विकास खण्ड एवं पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाएं।
- विश्व व्यापार संगठन के प्राविधानों के फलस्वरूप सम्भावित भविष्य की चुनौतियों एवं सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए कृषि शिक्षा, अनुसन्धान एवं प्रसार सम्बन्धी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु राजकीय निवेश को बढ़ाया जाय।